संख्या-184/2015/427जेपीआर/22-3-15-200(2)/2015टीसी-।

प्रेषक,

आर0के0 द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

वरिष्ठ अधीक्षक,
आदर्श कारागार,
लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 25 जून, 2015***

विषय- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध बंदियों को स्वीकृत 15 दिन के गृह अवकाश की अवधि में 15 दिन की वृद्धि किये जाने सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-169/2015/1646जेएल/22-3-14-200(2)/2015, दिनांक 12-06-2015 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के साथ संलग्न सूची में 57 बंदियों को 15 दिन के गृह अवकाश की स्वीकृति कतिपय शर्तों के अधीन प्रदान की गयी है। शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त शासनादेश के साथ संलग्न सूची में सम्मिलित बंदियों में से निम्नलिखित 12 बंदियों को पूर्व स्वीकृत गृह अवकाश की अवधि में 15 दिन की वृद्धि एतदद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.स.	बंदी एवं उसके पिता का नाम	जनपद का नाम	बंदी संख्या
1	मोहन सिंह पुत्र श्री विचित्र सिंह	मेरठ	14792
2	राधेश्याम पुत्र श्री किशुनदत्त	गोण्डा	13603
3	रामकुमार पुत्र श्री अवधलाल	उन्नाव	14003
4	शिवमूर्ति मिश्र पुत्र श्री प्रेमनाथ मिश्र	सुलतानपुर	14278
5	अब्दुल वसीम पुत्र अब्दुल मोवीन	लखनऊ	14491
6	अब्दुल वहाब पुत्र मो0 मियां	सहारनपुर	14492
7	रौनक अली पुत्र श्री शाह अली	लखनऊ	14705
8	राज कुमार रस्तोगी पुत्र श्री विश्वभर दयाल रस्तोगी	सीतापुर	13602
9	गुड्डू उर्फ विनय कुमार पुत्र श्री दधीचि सिंह	हरदोई	14025
10	अनिल कुमार पुत्र श्री सत्यदेव	कासगंज	16054
11	लालजी पुत्र श्री बद्री केवट	गोरखपुर	14073
12	रमेश पुत्र रामजीमल	बदायूँ	14479

भवदीय,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या-184/2015/427जेपीआर(1)/22-3-15-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in